HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 8217/2025

Nikhil Gupta S/o Shri Nandlal Gupta, Aged About 40 Years, R/o Brothers Lal Kothi, Kesarganj, Chatai Mohalla, Ajmer.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor
2. Dilip Kumar S/o Shri D.m. Thadani, R/o 19, K.e.m. Padav, Police Station Clock Tower, Ajmer Firm Dalumal Dilip Kumar.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Jitendra Choudhary, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

27/04/2026

विद्वान विचारण न्यायालय में अभियुक्त के विरूद्ध एक प्रकरण अंतर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट वर्ष 2017 से लंबित है। परिवादी से जिरह हेतु करीब तीन अवसर अभियुक्त को दिये गये, किंतु अभियुक्त द्वारा जिरह नहीं की गई, जिस पर प्रतिपरीक्षा का अवसर समाप्त कर पत्रावली बयान मुलजिम में नियत की गई, दो पेशियों पर पत्रावली बयान मुलजिम में नियत रही, उसके बाद परिवादी से जिरह हेतु अभियुक्त द्वारा धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता का आवेदन पेश किया, जो विद्वान मजिस्ट्रेट न्याालय द्वारा आदेश दिनांक 02.06.2025 के माध्यम से खारिज किया गया, जिसके विरूद्ध निगरानी याचिका भी विद्वान निगरानी न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.10.2025 के माध्यम से खारिज की गई।

यद्यपि अभियुक्त को परिवादी से प्रतिपरीक्षा हेतु पर्याप्त अवसर मिला है, तथा कोस्ट पर भी अवसर दिया गया है, लेकिन फिर भी संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए न्यायहित में याची–अभियुक्त को 10,000/–रूपये की कोस्ट पर

परिवादी से प्रतिपरीक्षा हेतु अवसर दिया जाता है। यह कोस्ट राशि परिवादी के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट बनाकर विचारण न्यायालय में परिवादी को अभियुक्त द्वारा नियत पेशी पर अदा की जावेगी, उसके पश्चात् ही अभियुक्त को जिरह हेतु अवसर दिया जायेगा। उपरोक्त कोस्ट पूर्ववर्ती शर्त होगी, अन्यथा यह याचिका खारिज मानी जाएगी।

चूंकि यह आदेश परिवादी की अनुपस्थिति में पारित किया जा रहा है, अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि परिवादी पक्ष इस आदेश से सहमत नहीं हो, तो वह उपरोक्त कोस्ट राशि अस्वीकार कर इस न्यायालय में आवेदन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दे सकेगा और उस परिस्थिति में आदेश को रिकॉल किये जाने पर विचार किया जायेगा।

इसी अनुसार याची–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह याचिका निस्तारित की जाती है तथा स्थगन आवेदन भी उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /14